अधिसूचना   नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 2/2016- स्वच्छ ऊर्जा उपकर

सा.का.नि.   (अ.) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का 14) की धारा 83 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 05/2010-स्वच्छ ऊर्जा उपकर, तारीख 22 जून, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 547(अ) तारीख 22 जून, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, “मेघालय राज्य” शब्दों के पश्चात्, “और नागालैंड राज्य” शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

[फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू]

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 05/2010-स्वच्छ ऊर्जा उपकर, तारीख 22 जून, 2010 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 547(अ) तारीख 22 जून, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।